न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 686/ 2019

1 दिलबागसिंह वल्द नाजमसिंह कोम जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

2 पुष्पदीपकौर पत्नी दिलबागसिंह कोम जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

वादीगण

बनाम

1 नाजमसिंह वल्द बहादरसिंह कोम जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर ।

– प्रतिवादीगण –

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री त्रिलोकचन्द चायल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 06.12.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88,53 आर.टी. ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 1 एक ही खान दान के है ,चक 5 बीजीएस खाता संख्या 63/58 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से मु.न. 49 का किला नं. 12,19,20,21,22 / 1. 518हैक्टैयर व मु.न. 50 का किला नं. 18,19,20,21/1 मे 0.250 हैक्टैयर कि.न. 22/1 मे 0.139 हैक्टैयर कुल 0.898 हैक्टैयर कुल योग रकबा 2.416 हैक्टैयर नहरी रकबा दर्ज कागजात पटवार माल है । जो विरासतन प्राप्त है जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विरासतन रकबा को लेकर एक घरू बंटवारा हुआ था और मुताबिक बंटवारा मे वादीगण को निम्न प्रकार से रकबा हिस्सा मे आया था –1 वादी संख्या–1 दिलबागसिंह वल्द नाजमसिंह कोम जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को चक 5 बीजीएस मे खाता संख्या 63/58 मे मु.न. 49 का किला नं. 9,12/ 0.506 हैक्टैयर रकबा पर काबिज है 12– यह कि वादिया संख्या 2 पुष्पदीपकौर पत्नी दिलबागसिंह कोम जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर चक 5 बीजीएस मे खाता संख्या 63/58 मे मु.न. 49 का किला नं. 19,20,21,22 / 1.012 हैक्टैयर नहरी रकबा पर काबिज है । वादीगण उपरोक्तानुसार अपने अपने रकबा पर तकरीबन 5 सालो से काबिज चले आ रहे है । राजस्व रिकॉर्ड मे चक 5 बीजीएस का खाता संख्या 63/58 मे उक्त रकबा प्रतिवादी के नाम से दर्ज होने से वादीगण को काफी मुश्किलो का सामना करना पड़ता है वादीगण को बैक लोन लेने तथा अन्य सरकारी सुविधाएं लेने मे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

कहा कि आप हमारे कब्जा काश्त का रकबा हमारे नाम करवान के लिऐ तहसीलदार महोदय के पास अपनी सहमति के ब्यान दे दो ताकि उक्त रकबा हमारे नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो सके । परन्तु प्रतिवादी आज कल आज कल करता रहा और आज से 2 रोज पूर्व रकबा वादीगण के नाम करवाने से साफ इंकार हो गया । बस यही बिनाय दावा है । जो वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूध हासिल हुआ है । वगैरा–वगैरां

अतः वाद वादीगण मय हलफनामा के दो प्रतियो मे पेश कर निवेदन है कि घोषित किया जावे कि वादी संख्या–1 दिलबागसिंह वल्द नाजमसिंह कोम जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को चक 5 बीजीएस मे खाता संख्या 63/58 मे मु.न. 49 का किला नं. 9,12/ 0.506 हैक्टैयर रकबा की खातेदार काश्तकार है । वादिया संख्या 2 पुष्पदीपकौर पत्नी दिलबागसिंह कोम जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर चक 5 बीजीएस मे खाता संख्या 63/58 मे मु.न. 49 का किला नं. 19,20,21,22 / 1.012 हैक्टैयर नहरी रकबा की खातेदार काश्तकार है । एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादीगण मे उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एव प्रतिवादी के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है एंव वादीगण एव प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव वादीगण द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की कब्जा काश्त के समबध में कोई विरोध नही किया है, वादीगण द्वारा खाता तकसीम हेतू चाहे गये अनूतोष की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसका खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग कायम है। इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 5 बीजीएस मे खाता संख्या 63/58 मे मु.न. 49 का किला नं. 9,12/ 0.506 हैक्टैयर आराजी का

Scanned by CamScanner

वादी संख्या 1 दिलबाग सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक 5 बीजीएस मे खाता संख्या 63/58 मे मु.न. 49 का किला नं. 19,20,21,22 / 1.012 हैक्टैयर नहरी आराजी की वादी संख्या 2 पुष्पदीप कौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव वादीगण को प्राप्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 686 / 2019

1 दिलबागसिंह वल्द नाजमसिंह कोम जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

2 पुष्पदीपकौर पत्नी दिलबागसिंह कोम जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

वादीगण

बनाम

1 नाजमसिंह वल्द बहादरसिंह कोम जट सिख साकिन दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर ।

– प्रतिवादीगण –

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री चिमनला दुआ वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री त्रिलोकचन्द चायल वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 5 बीजीएस मे खाता संख्या 63/58 मे मु.न. 49 का किला नं. 9,12/ 0.506 हैक्टैयर आराजी का वादी संख्या 1 दिलबाग सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक 5 बीजीएस मे खाता संख्या 63/58 मे मु.न. 49 का किला नं. 19,20,21,22 / 1.012 हैक्टैयर नहरी आराजी की वादी संख्या 2 पुष्पदीप कौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव वादीगण को प्राप्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.2.2020 को जारी किया गया।

6.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:09:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: